

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 22.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Amit Anil Chandra Shah** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 119 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	KATHAN CHARAN	SH. KRUNAL CHARAN MOB- 9978916769	1	NO.1 SEC-30 GANDHINAGAR
2	BRIANA PATEL	SH. NIMESH PATEL MOB- 9725817737	1	AFS WADSAR KALOL
3	ARYAN PRAJAPATI	SH. PRAVINBHAI PRAJAPATI MOB- 9725468075	3	NO.1 SEC-30 GANDHINAGAR
4	SATVA PATEL	SH. RAJENDRAKUMAR PATEL MOB- 8264297008	2	SAC VASTRAPUR
5	MAURYA JOSHI	SH. NIKI JOSHI MOB- 7698491491	6	SAC VASTRAPUR
6	RIYA PUWAR	SH. RAJAN PUWAR MOB- 9904082550, 9104163658	1	SAC VASTRAPUR
7	AMISHI TIWARI	SH. KRISHNA KUMAR TIWARI MOB- 9824192565	1	SAC VASTRAPUR
8	HITARTH AAHIR	SH. AMIT KUMAR AAHIR MOB- 9368411111	3	AFS WADSAR KALOL
9	KRITAJNABA JETHWA	SH. YAJUVEBDRASINH JETHWA MOB- 9924124911	1	NO.1 SEC-30 GANDHINAGAR
10	HEER GOHEL	SH. NILESHBHAI GOHEL MOB- 9925450434	6	SAC VASTRAPUR

पेया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया ठाकुर  
24/8/xx

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Amit Anil Chandra Shah माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, AHMEDABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

